न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 16 / 2015

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 श्रीमती चन्द्रपति पत्नी बन्नेसिंह पुत्री तेजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी भालोठ हाल आबाद संसपुर तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा
2 बाई देवी पत्नी जबर सिंह पुत्री तेजा।
3 भतेरी देवी पत्नी राजकुमार पुत्री तेजा समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी भालोठ हाल आबाद मोहनबाड़ी तहसील झझर जिला रोहतक हरियाणा।

अपीलांट

बनाम

1 सन्तरा देवी बेवा रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाणी भालोठ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2 श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
3 जीवण पुत्र मंगला।
4 सुशीला देवी बेवा सूरतसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी भालोठ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
5 मुकेश उम्र 8 साल पुत्री सूरतसिंह।
6 कमलेश उम्र 3 साल पुत्री सूरतसिंह जाति जाट निवासी ढ़ाणी भालोठ नाबालिग जरिए बली माता सुशीला देवी बेवा सूरतसिंह जाति जाट निवासी ढ़ाणी भालोठ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
7 धनपति पुत्री मंगलाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 सन्तोष पुत्री मंगलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी भालोठ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

9 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खिलाफ निर्णय व अन्तिक डिकी दिनांक 15.1.15 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मुकदमा उनवानी श्रीमती चन्द्रपती बनाम सन्तरो मु0नं0 136/2011 दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता ~~अपीलांट~~ रेस्पोन्डेंट।
2. श्री द्वारका प्रसाद अधिवक्ता ~~अपीलांट~~
3. श्री बाबूलाल अधिवक्ता ~~रेस्पोडेंट~~ अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 24-1-17

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर खेतड़ी द्वारा वाद संख्या 136/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 103,339,428,442,524,609,610,654,665/7,724,725 वाके ग्राम भालोठ प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी का जवाब प्राप्त कर छः तनकी कायम कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1का विवादित भूमि में बराबर बराबर हिस्सा है गवाह 3,4 ने अपीलांट को तेजाराम की लड़कियां बताया है। प्रदर्श 05 कुर्सीनामा ने अपीलांट का कथन साबित है सन्तरा देवी के बयान में जिरह में अपीलांट को सगी ननद होना कथन किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि तेजाराम कब मरा, वादकरण कब पैदा हुआ यह दावे में नही लिखा है दिनांक 03.04.2012 को 42 साल बाद दावा पेश किया है जो मियाद बाहर है अपीलांट का कब्जा नही है कब्जे के अभाव में घोषणा का दावा नही चल सकता है अपीलांट तेजाराम की पुत्री है इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। साक्ष्य के अभाव में विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई भूल नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर 2016 पेज 89–95, ए.आई.आर.

2014 पेज 35–38, आर.बी.जे. 2012 पेज 47–55, आर.एल. डब्ल्यू 2008 (1) पेज 239–242, ए.आई.आर. 2007(एस.सी) पेज 1499–1501, आर.आर. टी. 2007(1) पेज 723–728 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट तेजा की पुत्री होने के आधार पर दावा लेकर आई है विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय में इनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे वादीगण तेजा की पुत्रिया होना साबित होता हो। मौखिक साक्ष्य से भी वादीगण इस कथन को साबित करने में असफल रही है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विस्तृत विवेचन कर तनकी संख्या 01 का निर्णय वादीगण के विरूद्व किया गया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

चूकिं तनकी संख्या 01 के विवेचन में वादीगण तेजा की पुत्री होना साबित करने में असफल रही है ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के सन्दर्भ में घोषणा के अधिकारी नही पाये जाते है विचारण न्यायालय में तनकी संख्या 02 का निर्णय वादीगण के विरूद्व करने में विधिक त्रुटि नही की गई है।

तनकी संख्या 03 के विवेचन में विचारण न्यायालय ने वादीगण के गवाह प्रेमसिंह वादी भतेरी देवी एवं होशियार सिंह के मौखिक कथनों का विवेचन कर तनकी संख्या 03 का निर्णय वादी के विरूद्व एवं प्रतिवादी के पक्ष में पारित किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

तनकी संख्या 05 के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में वादियागण कभी खातेदार नही रही है वादीयागण भतेरी देवी ने वाद

Lavo

वर्णित भूमि पर उनका कब्जा है एवं वे काश्त करती है इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं दी है एवं सन्तरा हमें काश्त नहीं करने देती है सन्तरा ,चना बाजरा काश्त करती है। इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा गवाह प्रेमसिंह ने इस भूमि को कभी भी नहीं देखना व काश्त नहीं करना बताया है तथा इस जमीन को सन्तरा ही काश्त करती है यह साक्ष्य दी है तथा गवाह होशियार सिंह ने भी वादीयागण का कब्जा होना अपनी साक्ष्य में नहीं बताया है। इस प्रकार वादियागण का वाद वर्णित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा इस वाद में वादियागण द्वारा कब्जा प्राप्ति हेतु कोई सहायक अनुतोष नही मांगा गया है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने आर.बी.जे (19) 2012 पेज 47 पर अभिनिर्धारित किया है कि " Section 88- Suit for declaration of Khatedari rights in absence of the relif for possession was not maintainable.

उपरोक्त तनकीवार विवेचन एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाया जाता है। जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

24.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर